भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. हिंदी-2008/रा.भा.2/18/2 नई दिल्ली, दिनांक-20.6.2008

महाप्रबंधक (राजभाषा),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन कारखाने.

निदेशक,
सभी प्रशिक्षण संस्थान.

महानिदेशक,
अ.अ.मा.संगठन, लखनऊ.
रेलवे स्टाफ कालेज, वडोदरा.

विषय: **राजभाषा से संबंधित निरीक्षण - दिशा-निर्देश.**

उपर्युक्त विषय पर कृपया बोर्ड का 18.3.2008 का समसंख्यक पत्र देखें, जिसमें रेलों के उप मुख्य राजभाषा अधिकारियों, वरिष्ठ राजभाषा अधिकारियों तथा राजभाषा अधिकारियों द्वारा प्रतिमाह किए जाने वाले निरीक्षणों के बारे में निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए गए थे :-

	प्रधान कार्यालय	मंडल कार्यालय
पहले महीने		
1.	मुख्यालय के एक विभाग का गहन निरीक्षण.	1. मंडल की किसी एक शाखा का गहन निरीक्षण.
दूसरे महीने		
2.	मंडल की किसी एक शाखा का गहन निरीक्षण.	2. किसी स्टेशन का गहन निरीक्षण.
तीसरे महीने		
3.	मंडल के किसी एक स्टेशन/ वर्कशॉप/मंडलेत्तर कार्यालय का गहन निरीक्षण.	3. किसी मंडलेत्तर कार्यालय/युनिट का गहन निरीक्षण.

यह देखा गया है कि रेलों के राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी नियमानुसार निरीक्षण नहीं कर रहे हैं. अब तक केवल कुछ रेलों से ही इक्का-दुक्का रपटें ही प्राप्त हुई हैं, जिसके चलते प्रत्येक रेलवे के राजभाषा अधिकारियों द्वारा किए जा रहे निरीक्षणों का पूरा लेखा-जोखा नहीं मिल पाता.

जैसा कि आप जानते ही हैं कि इससे पहले राजभाषा संगठन प्रधान कार्यालय एवं मंडलों द्वारा किए गए निरीक्षणों की एक प्रति निदेशक, राजभाषा को पृष्ठांकित की जाती रही है. भविष्य में इस प्रक्रिया को बंद करते हुए निरीक्षण रपटें संबंधित प्रधान कार्यालय द्वारा समेकित करके मासिक आधार पर निदेशक, राजभाषा (रेलवे बोर्ड) को प्रेषित की जाएं. इस व्यवस्था से संबंधित प्रधान कार्यालय एवं निदेशालय द्वारा सही मॉनीटरिंग की जा सकेगी.

कृपया इसे अपनी रेलों पर लागू करने के लिए अपेक्षित दिशा-निर्देश जारी करें.

(महेश चंद्र मोटवानी)
उपनिदेशक, राजभाषा
रेलवे बोर्ड

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\D.O. Deputy Director.doc